भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 1443

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधि

1443. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजमार्गों के सुधार, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत के बराबर है और क्या निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है और यदि हां, तो राज्य में एक लेन, दो लेन और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ग) क्या राजमार्ग नेटवर्क में सुधार के लिए राज्य को वित्तीय पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राजमार्गों की दशा के संबंध में जन प्रतिनिधियों से कोई संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 3324 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार ने 1354 करोड़ रुपये की लागत से 141 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 16 प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने 365.293 करोड़ रुपये की लागत वाले 30.3 किलोमीटर की कुल लंबाई के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी है और शेष प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व 26.78 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी है, जबकि पूरे देश में यह 44.47 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुधार कार्य यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के

साथ तालमेल के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लेन-वार लंबाई का विवरण नीचे दिया गया है:

लेन विन्यास	दो लेन से कम	दो लेन	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन	चार लेन	चार लेन से अधिक	कुल लंबाई
लंबाई किमी में	249.00	853.84	1282.56	1129.44	92.75	3607.59

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए राज्य सरकार को अलग से केंद्रीय वित्तीय पैकेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ) जी, हां, राजमार्ग की स्थिति के बारे में जनप्रतिनिधियों से कई संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मामलों की विधिवत जांच की जा रही है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उनका समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करने और सभी प्रयोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

*****